विचार बिन्दु

एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। न वह टूटता है और न उसमें रहने वाला कभी दुःखी होता है। –अज्ञात

समस्या अतिक्रमण की!

कुछ दिन पहले इसी समाचार पत्र में प्रकाशित एक समाचार उद्धृत कर रहा हूं:–राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कहा है कि प्रदेश स्तर पर सड़कों और फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाना चाहिए। वहां यदि अतिक्रमण को संरक्षण देने में किसी अफसर या पुलिस अधिकारी की भूमिका सामने आती है तो उस पर भी उचित कार्रवाई की जा सकती है। अदालत ने कहा कि अतिक्रमण करने वालों के प्रति किसी तरह की सहानुभूति नहीं दिखाई जा सकती। अदालत ने यूडीएच के अतिरिक्त मुख्य सचिव को कहा है कि वे अतिक्रमण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश को ध्यान में रखते हुए शहरों और कस्बों के नगर निगमों व नगर परिषदों को अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देश ज़ारी करें। जस्टिस एसपी शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने यह आदेश विनोद कुमार बोयल की जनहित याचिका को पुनर्जीवित करते हुए दिया। (राष्ट्रदूत, 22 अगस्त, 2025)।

यह समाचार पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। माननीय उच्च न्यायालय ने, भले ही एक सजग नागरिक की गुहार सुनते हुए, हमारी परवाह की। हो सकता है गांवों में और छोटे कस्बों में हालत उतनी ख़राब न हो, छोटे और बड़े शहरों में हालत कितनी विकट है यह आपको घर से बाहर निकलते ही पता चल जाता है। अच्छी खासी चौड़ी सड़कें अतिक्रमण की वजह से सिकुड़ कर बहुत संकड़ी हो गई हैं। दुकानदार पैदल चलने वाली जगह को अपने माल के प्रदर्शन का ठिकाना बना कर उस पर लगभग स्थायी अधिकार जमा लेते हैं। लगभग हर दुकानदार एक बड़ा–सा बोर्ड सड़क पर अलग से टिका देता है। इससे आवागमन बाधित होता हो तो हो। गर्मियों में वहां कूलर सजे नज़र आते हैं तो त्योहारों पर कभी राखियां तो कभी गुलाल तो कभी मिठाई सजी मिलती है। इसके बाद, या पहले अगर कोई जगह बची होती है तो दुकानदारों के वाहन उस पर कब्ज़ा जमा लेते हैं और अगर फिर भी किस्मत से जगह बच जाए तो ऑटो वाले, ई रिक्शा वाले वहां काबिज़ हो जाते हैं। अगर ये सब उस जगह पर कृपा न करें तो कोई उद्यमी वहां 'पेड पार्किंग' का बोर्ड लगाकर जन सेवा करने लग जाता है! यह पता लगाना प्रायः असंभव ही होता है कि वह पेड पार्किंग अधिकृत है या अनधिकृत। अधिकारियों को पड़ताल करने की फुर्सत नहीं और नागरिक निहायत ही बेचारा। वह किस–किस से पंगा मोल ले।

कभी–कभार अगर सरकार बहादुर की नींद खुलती है तो वह शहर में जगह–जगह 'नोवेंडिंग ज़ोन' के बोर्ड लगा देती है। इतना करने के बाद उसका दायित्व पूरा हो जाता है। उस बोर्ड की अनुपालना हो रही है या नहीं, यह देखना शायद उसका काम है ही नहीं। अलबत्ता इस तरह के बोर्ड चालान करने वालों या वसूली करने वालों के लिए ज़रूर लाभप्रद साबित होते हैं। वैसे जो 'नोवेंडिंग ज़ोन' के बोर्ड लगाते हैं, उन्हें इस बात की ज़रूरत शायद ही कभी महसूस होती हो कि कहीं वेंडिंग ज़ोन का बोर्ड भी लगा दिया जाए। जिन्हें छोटा–मोटा सामान या फल सब्ज़ी बेच कर अपना व परिवार का भरण पोषण करना होता है वे किसी सरकार की चिंता के दायरे में नहीं आते हैं। हड़काये जाना, अपमानित होना और समय–समय पर रिश्वत देना जैसे उनकी नियति है। और केवल वे ही क्यों निम्न वर्गीय और मध्यम वर्गीय नागरिक भी जो इनसे सामान खरीदकर अपनी ज़रूरतें पूरी करता है उसकी सुविधा की भी शायद ही किसी को परवाह हो। आखिर बड़ी–बड़ी चमचमाती मॉल्स और भव्य डिपार्टमेण्ट्ल स्टोर्स खुले हुए तो हैं! अगर आपकी हैसियत उनमें जाने की नहीं है तो यह आपकी प्रॉब्लम है। यही बात पार्किंग के लिए भी है। आप नौ पार्किंग का बोर्ड तो लगा देते हैं लेकिन कभी यह भी सोचते हैं कि आखिर कोई पार्किंग करे तो कहां करे?

सड़कों से बेहतर स्थिति रिहायशी इलाकों और कॉलोनियों की नहीं है।जो गलियां एक मंज़िला मकानों के लिए बनी थीं वहां अब तीन मंज़िला मकान उग आए हैं। हर मकान में रहने वाले के पास अपने दोपहिया या चौपहिया (या दोनों किस्म के) वाहन हैं, जिन्हें घर के भीतर नहीं रखा जा सकता। वे वाहन गलियों में ही खड़े किए जाते हैं। अगर कोई अपना वाहन अपने घर की परिधि में भी खड़ा करना चाहता है तो क्योंकि घर में उतने बड़े वाहन के लिए जगह नहीं होती है, वह अपनी फाटक को थोड़ा बाहर तक ले आता है, जो निश्चय ही अतिक्रमण होता है। फिर लोग पौधे लगाने के नाम पर सड़क का कुछ हिस्सा घेर लेते हैं। अगर किसी के घर कोई छोटा–सा भी आयोजन हो तो कुछ वाहन आकर गली को लगभग अवरुद्ध कर देते हैं। खुशी और ग़म के मौके या धार्मिक आयोजन हमें खुली छूट देते हैं कि कनात वगैरह लगाकर लोगों का आवागमन अवरुद्ध कर दें। इधर एक नई व्यवस्था और चल निकली है। जो गलियां निर्बाध यातायात के लिए बनी थीं, उन पर विधायक जी की कृपा से गेट लगा दिए गए ताकि कॉलोनी वासियों की सुरक्षा हो। अब ख़ास तौर पर कोरोना काल के बाद बहुत सारे ऐसे गेट स्थायी रूप से बंद रहने लगे हैं। एकाध बार इस आशय के आदेश भी हुए कि गेट स्थायी रूप से बंद न किए जाएं, लेकिन आदेश हो गए, दायित्व पूरा हुआ। गेट अब भी बंद ही हैं। आने जाने वालों को असुविधा हो तो हो।

अच्छी खासी चौड़ी सड़कें अतिक्रमण की वजह से सिकुड़ कर बहुत संकड़ी हो गई हैं। दुकानदार पैदल चलने वाली जगह को अपने माल के प्रदर्शन का ठिकाना बना कर उस पर लगभग स्थायी अधिकार जमा लेते हैं। लगभग हर दुकानदार एक बड़ा-सा बोर्ड सड़क पर अलग से टिका देता है। इससे आवागमन बाधित होता हो तो हो। कभी-कभार अगर सरकार बहादुर की नींद खुलती है तो वह शहर में जगह-जगह 'नोवेंडिंग ज़ोन' के बोर्ड लगा देती है।

शहरों में फुटपाथ लगभग अदृश्य हैं। कहा गया कि फुटपाथ के लिए अलग से बजट ही नहीं है। ऐसे में सड़क से नागरिक को, पैदल चलने वाले नागरिक को तो जैसे बेदखल ही कर दिया गया है। न केवल पैदल चलने वाले नागरिक को, साइकिल चलाने वाले को और काफी हद तक दो पहिया वाहन चलाने वाले को भी यह अधिकार नहीं रह गया कि वह उस सड़क का उपयोग करे जिसके लिए वह भी टैक्स चुकाता है। सड़क केवल चौपहिया वाहन चलाने वालों के लिए है, और उनको भी घण्टों जाम से जूझना पड़ता है। वजह वही, अतिक्रमण। अगर अतिक्रमण न हो और लोगों में वाहन चलाने की तमीज़ हो तो बहुत सारी समस्याएं कम हो सकती हैं।

निश्चय ही सारा दोष सरकार का नहीं है। अपनी दुरवस्था के लिए असल में तो हम नागरिक ही ज़िम्मेदार हैं। अतिक्रमण हम ही करते हैं, यातायात को अव्यवस्थित हम ही करते हैं, कॉलोनी के गेटों पर ताले लगाने की मांग हम ही करते हैं, अपने घरों के फाटक हम ही आगे निकालते हैं और हम ही हैं जो पौधे लगाने के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति पर निजी नियंत्रण कर लेते हैं। हम इस बात को स्वीकार कर लें कि हममें नागरिक बोध का घोर अभाव है।हमारी सारी अपेक्षाएं दूसरों से होती हैं। लेकिन यह भी स्वीकार करें कि अंततः यह हम सबका मानवीय स्वभाव है। और इसी स्वभाव को नियंत्रित रखने के लिए समझाइश की, दण्ड की, पुलिस की, न्याय व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। सरकार हमसे पैसे लेती है और ये सारी व्यवस्थाएं करती है। अगर एक आदर्श स्थिति हो, सब अपनी–अपनी मर्यादा में रहें, सब नियमों का शब्दशः पालन करें तो फिर किसी पुलिस तंत्र की, किसी न्याय व्यवस्था की कोई ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। लेकिन ऐसा आदर्श समाज केवल कल्पना में ही हो सकता है। मनुष्य है तो उसमें विचलन भी होगा, अनुचित लाभ उठाने का लालच भी होगा, कानून के रखवालों की नज़र बचाकर कुछ ग़लत कर लेने का प्रयास भी होगा। ऐसे में देखने की बात यह है कि जनता पर भारी कर का बोझ लाद कर जो व्यवस्था बनाई गई है वह अपना काम किस मुस्तैदी से कर रही है। कर भी रही है या नहीं कर रही है।

मुझे यह कहने की अनुमति दें कि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक नहीं है। हमारे पास लम्बा–चौड़ा अमला है जिसका काम अतिक्रमण को रोकना है। लेकिन उसे उस समय तक कोई अतिक्रमण कहीं नज़र नहीं आता जब तक कि कोई उच्च न्यायालय उसकी आंख में उंगली डालकर दिखा न दे। तब वह चौंक कर उठता है, कहता है, 'अच्छा! ऐसा हो गया!' इसके बाद थोड़ी बहुत हरकत करता है और फिर विश्राम की स्थायी अवस्था में जा पहुंचता है। जो लोग अतिक्रमण को रोकने के लिए ज़िम्मेदार हैं क्या उन को अपने काम में कोताही बरतने के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए? क्या उन्हें इस बात के लिए पाबंद नहीं किया जाना चाहिए कि वे भविष्य में कोई अतिक्रमण होने ही न दें। और जो अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें तो दंडित किया ही जाना चाहिए। जब सारी दुनिया में इतना सारा तकनीकी विकास हो गया है तब क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते कि आम नागरिक भी सही जगह अतिक्रमण की शिकायत कर सके और उसकी शिकायत पर तुरंत यथोचित कार्रवाई हो जाए। क्या हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हर नागरिक को उसका हर अधिकार सुगमता से मिले। क्या मुझे सड़क पर चलने का अधिकार भी भीख की तरह मांगना होगा? फिर तो किसी भी सरकार का, किसी भी व्यवस्था का अर्थ ही क्या है?

इस मुद्दे पर आप भी सोचें।

–अतिथि संपादक,
डॉ. दुर्गाप्रसाद अग्रवाल
(शिक्षाविद और साहित्यकार)

सामाजिक समरसता एक नेक विचार अथवा वर्तमान में मात्र राजनीतिक सोशेबाजी

महावीर सिंह

आपने कई बार कुछ राजनीतिक दलों और कुछ सांस्कृतिक संगठनों के द्वारा सामाजिक समरसता शब्द का बहुदा उपयोग करते सुना होगा। आइए ,इन शब्दों का अर्थ समझाने का प्रयास करें। इन शब्दों का अर्थ समझने के लिए सर्वप्रथम इस वास्तविकता को स्वीकार करें कि भारतीय समाज विभिन्न वर्गों धर्मो, जातियो में बंटा हुआ है । तो फिर सामाजिक स्तर पर इन विभिन्न जातियों,धर्मों आदि के लोगों में दैनिक एकल व सामूहिक रूप से सौहार्द्र पूर्ण व्यवहार के आधार क्या हों? यह समझाने के लिए बहुधा ''सामाजिक समरसता'' जैसे शब्दों को उपयोग कुछ लोग, राजनीतिक दल, संगठन करते रहते है।

भारत की नई शिक्षा नीति के अनुसार, सामाजिक समरसता के लिए समाज में लोगों के बीच, बिना उनके के मूल स्थान, नर्वशीय मूल, वैवाहिक स्थिति, जातीयता, रंग, लिंग, जाती, आयु, व्यवसाय, राष्ट्रीयता को महत्व दिए परस्पर प्रेम, विश्वास, प्रशंसा, शांति, सद्भाव, सम्मान, उदारता को महत्व और बढ़ावा दिया जाए।

वर्ण/जाती व्यवस्था के संबंध में एक रूढ़िवादी विचार यह है कि यह दैवीय व्यवस्था है। समाज इस प्रकार गठित हो की वह सुचारू रूप से चले। इसके लिए भगवान ने स्वयं अपने शरीर के विभिन्न अंगों से यथा मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य वो पैरों से शूद्र बनाए।

वस्तुत यह कल्पना, बुद्धिमान व चालक व्यक्तियों की लोगों, परिवारों व समाज पर नियंत्रण की कला थी जिसे धार्मिक व ईश्वरीय चोगा पहना कर स्थाई किया गया। इस व्यवस्था और व्याख्या का यथावत रखने की दिशा में

आज भी ब्राह्मण वर्ग के कतिपय धार्मिक नेता, राजनेता और बौद्धिक वर्ग के जाने माने लोग अपने आपको दूसरों से श्रेष्ठ बताते रहते है। विभिन्न प्रकार के विवाद भी उत्पन्न करते रहते है।

शास्त्रों में उल्लेखित ब्राह्मणों से (आज की ब्राह्मण जाती नहीं, वर्णव्यवस्था के अंतर्गत वर्णित ब्राह्मण) अपेक्षा की गई थी कि वे सादा–सरल – वैरागी जैसा जीवन जिएंगे और समाज का नेतृत्व करेंगे। आज धरातल पर इस प्रकार की स्थितियां हैं ही नहीं। आज जिसे हम ब्राह्मण के रूप में जानते है वह तो वैश्य, क्षत्रिय, शूद्रों वाले सारे कार्य करते है। आज कोई किसी भी वर्ग का गरीब है, थोड़ा बहुत शिक्षित है, बेरोजगार है, वे सभी, उपरोक्त शास्त्रीय व्याख्यानुसार ब्राह्मण होने के सारे मापदंड पूरे करते है। लेकिन भारत के संविधान के आगे धर्म शास्त्रों में उल्लेखित कोई भी नियम प्रभाव शून्य है। कुछ विचारकों का मानना है सामाजिक समरसता सामाजिक समानता है जिसमें जाती आधारित भेदभाव नहीं होगा, अस्पृश्यता का कोई स्थान नहीं होगा। समाज के सभी वर्गों, वर्णों के बीच प्रेम, सद्भाव, एकता होती है। कुछ अन्य विचारकों इस बात को महत्व देते है कि वास्तविक सामाजिक समरसता में मुनष्य दूसरे मनुष्य को एक ही ईश्वर की संतान समझता है,सबमें एक ही चैतन्य है और इस बात को हृदय से स्वीकार करता है -- दिखावटी प्रेम, सद्भाव, सौहार्द्र नहीं।

गुरु गोविंद सिंह ने कहा ''मानस की जात सब एक पहचानबो'' अर्थात सभी मनुष्यों, मानव जाती को एक ही जाती का मानना चाहिए। कबीर जी कहते हैं–''लाली मेरे लाल की, जीत देखूं तित लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल।'' सारांश है कि चारों ओर ईश्वर ही ईश्वर की माया,ऊर्जा है अर्थात जीव, प्रकृति सब ईश्वरीय ऊर्जा,अंश है अर्थात सब सामान हैं। वस्तुतः मध्यकालीन युग के अधिकांश भक्त संतो के साहित्य, गीत, भजनों का सार भी थी है कि मनुष्य जात सब एक ही ईश्वर के अंश, न छोटा न बड़ा, न ऊंचा न नीचा।

प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर राधा कुमुद मुखर्जी के अनुसार समाजिक समरसता के निम्न घटक हैं ::-- (1) संविधान जिस में धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषेध (2) सरकार-- संविधान में उल्लेखित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अनुसार कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन (3) शिक्षा -- ऐसी हो जिस से मानवीयता, सद्भाव, ममत्व, भ्रातृत्व, शांति के गुणों का विकास हो और समतामूलक हो (4) मीडिया का उद्देश्य निष्पक्ष, सटीक, सभ्य व सम भाषा में जनहित, समरसता के मुद्दों पर सूचनाएं आदि से जनसेवा करना।

डाक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके जन्मदिन को सामाजिक समरसता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया गया है, उनके अनुसार बिना सामाजिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सामाजिक समरसता एक प्रतीकात्मक विचार मात्र है।

प्रत्येक नागरिक को धर्म, जाती, लिंग और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे, उसकी योग्यता के अनुसार बराबर अवसरों की उपलब्धता ही सच्ची समाजिक समरसता की इमारत की नींव है। बाबा साहब के अनुसार इस को प्राप्त करने का सबसे बड़ा माध्यम संविधान में ऐसे प्रावधान रखे जाना था जो जाती, धर्म, लिंग, निवास स्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर पूर्ण प्रतिबंध लजाते है और उनका सख्ती से पालना हो। इसका सबसे सबल रास्ता सामान शिक्षा व आत्मबल, स्वयं के चेतना से ही संभव है। ऐसे अनेक प्रावधानों को भारत के संविधान में इसी उद्देश्य से रखा गया है। सामाजिक समरसता, जातिभेद, अहिंसा, सत्य आदि पर पिछले 200 साल के विश्व के सबसे बड़े व विश्वसनीय नेता, विचारक, संत, महात्मा गांधी के विचार जाने बिना इस विषय के साथ न्याय नहीं होगा।

गांधी जी जाती व्यवस्था, मानसिक व शारीरिक श्रम में भेद और ग्रामीण, शहरी के आधार पर भेद के विरोधी थे। गांधी जी उन सारी प्रथाओं के विरोधी थे जो शोषण, उत्पीड़न और हिंसा पर आधारित हों। वे जातिप्रथा के तीन दिखने वाले दूषित, अनुचित आधारों यथा विवाह, खानपान, उच्चावच (ऊंच, नीच) के खिलाफ थे।

1931 में उन्होंने लिखा है कि अंतर्जातीय विवाहों व भोज पर प्रतिबंध अनावश्यक हैं। विभिन्न वर्गों के लोग परस्पर विवाह कर सकते है,साथ बैठ कर भोजन कर सकते हैं। कोई भी शूद्र लड़का ब्राह्मण लड़की से और ब्राह्मण लड़का कोई शूद्र लड़की से शादी कर सकता है। इस से कोई वर्ण व्यवस्था का उल्लंघन नहीं होता। वे समाज की पिरामिडीय व्यवस्था, ऊंच–नीच क्रम को अस्वीकार करते थे। छुआछूत को हिंदू समाज में आ घुसे ऊंच–नीच के भेद का दुष्परिणाम मानते थे। समाज के चार वर्णों में न कोई ऊंचा न कोई नीचा, न कोई श्रेष्ठ न कोई हीन मात्र योग्यतानुसार कार्य आधारित, परस्पर सहयोग की व्यवस्था है। धर्म शास्त्रों के आधार पर भी वे जाती प्रथा को सामाजिक समरसता का सबसे बड़ा अवरोधक मानते हैं और उसका विरोध करते थे। जो सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्याख्याएं सत्य व हिंसा के आधार पर नहीं टिकती है,गांधी जी उन धार्मिक मान्यताओं को अस्वीकार करते थे।

उनका मानना था कि ''हिंदू धर्म शास्त्रों में मेरे विश्वास का यह अर्थ नहीं कि मैं उनके एक एक शब्द और श्लोक को दैवीय प्रेरणा से उद्भूत मानता हूं। मैं किसी भी व्याख्या को मानने से इनकार करता हूं जो तर्क व नैतिक दृष्टि के प्रतिकूल हो,वह चाहे कितनी ही विद्वतापूर्ण क्यों न हो।'' गांधी जी ने थे भी कहा है ''मैं अक्षरचारी नहीं। इसलिए मैं धर्म ग्रंथों की भावना समझने का प्रयास करता हूं। जो व्याख्या सत्य अहिंसा पर खरी नहीं, मैं उसे नहीं मानता।'' उनका स्पष्ट मत था सफाई कार्य में हर व्यक्ति को भागीदार बनना चाहिए और धर्मशील समाज में उसका का सम्मान हो।

(महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा के साहित्य से -- डाक्टर शंभू जोशी)

उपर कुछ महान हस्तियों के व धर्म शास्त्रों से, समाजिक समरसता के संबंध में नीति विचार उल्लेखित किए है किंतु धरातलीय स्थिति क्या है? क्या जाती प्रथा के दंश से समाज पूर्णतः मुक्त हो चुका? क्या वंचितों को संविधान में दिए अधिकारों के उपभोग की पूर्ण स्वतंत्र मिल चुकी, कोई अवरोध नहीं? क्या समाज में सबको, वास्तविकता में, बराबरी से न्यायपूर्ण समान अधिकार मिल चुके, उनमें समय समय पर कोई अवरोधक तो नहीं आते?

कोई भी सरकार रही हो सभी ने यह भरसक प्रयास किया कि धर्म शास्त्रों की व्याख्याओं के अनुसार, जिन वर्गों के साथ उचित व्यवहार नहीं हुआ उन्हें सामाजिक संरचना, विकास और राजनीति की मुख्यधारा में शामिल किया जाए। इसके लिए उनके लिए विशेष योजनाएं बनी और क्रियान्वित हो रही है। राजनीति की मुख्यधारा में लाने के लिए उनके लिए संसद, विधानसभाओं, पंचायती व स्वायत शासन की संस्थाओं में स्थान आरक्षित किए गए है और भरे जा रहे है। शासन चलाने की व्यवस्था में इन वर्गों के लोगों के लिए सरकारी नियुक्तियों व शैक्षणिक संस्थानो में स्थान आरक्षित किए गए है और भरे जाते है। इनके अतिरिक्त एस सी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं, अल्पसंख्यकों आदि के लिए उनके कल्याणार्थ आयोग बनाए गए हैं।

सामाजिक समरसता के इस संवैधानिक घटक के प्रभाव को भी काई बार कमजोर करने के प्रयास होते है। सरकारी नियमित पदों के बदले संविदा कर्मचारी रख लेना, सरकारी उपक्रमों की कार्य क्षमता बढ़ाई जाने की जगह, धड़ा धड़ निजी हाथों में सौंपना और आवश्यकता से अधिक पार्श्व अथवा शीर्ष पदों के समीप की नियुक्तियां करना। आज सरकार के पास इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सक्षम प्रशासनिक अधिकारियों, वैज्ञानिकों व अन्य क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स की कमी नहीं तो फिर तुलनात्मक दृष्टि से शीर्ष के 5, 4 पदों के अतिरिक्त नीचे के क्रम के पदों पर लेटरल नियुक्तियां का औचित्य आसानी से समझ में नहीं आता।

संवैधानिक घटक पर तो विभिन्न स्तरों पर बहस होती है, इन्हें कमजोर करना आसान नहीं किंतु समाज के दूसरे स्तरों पर सामाजिक समरसता की अवधारणा के दूसरे घटक किस प्रकार क्रियान्वित हुए अथवा हो रहे हैं? सार्वजनिक स्थानों जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी दफ्तर, रेलवे स्टेशन,बस स्टैंड,चाय की दुकानों, भोजनालयों, शॉपिंग मॉल्स आदि पर सामान्यत सेवा लेने व देने वालों की कोई जाती नहीं पूछता। किंतु आज भी ----- कही कहीं वंचितों की बरातों पर पत्थरबाजी, दूल्हे को घोड़ी पर न चढ़ने देना व इसी प्रकार की दूसरी घटनाएं होती रहती है,यद्यिप काफी कम हो गई। इसी प्रकार कभी कभार वंचितों के साथ अमानुषिक दुर्व्यवहार की घटनाएं भी सामने आती है जैसे सिर मुंडवा देना,मूत्र पीने को विवश करना, वंचित वर्ग की महिलाओं के साथ अत्यंत घृणित व अमानुषिक तरीके से यौनाचार करना और कभी कभी तो फिर अमानुषिक ढंग से हत्याएं, अब भी देखने, सुनने को मिल जाती है।

उच्चवर्ण के व्यक्तियों ने भगवान की कथा सुनाने पर भी एकाधिकार बना रखा है अन्यथा उत्तरप्रदेश में चौथे वर्ग के व्यक्तियों द्वारा भगवत कथा सुनाने पर, सिर मुंडवाना, नाक रगड़वाना जैसा अमानवीय व्यवहार नहीं होता ।

इस घटना के संबंध में मैने उत्तरप्रदेश के एक चतुर्थ वर्ण के मंत्री का बयान सुना । उनके कहने का सार था कि कोई किसी दूसरों के लिए निर्धारित काम करने का प्रयास करेगा तो ऐसा हो जाता है। यह क्या दर्शाता है? मंदिरों में पूजा पाठ, कथा वाचन आदि कार्य श्रेष्ठ वर्ग के लिए आरक्षित है?? राज नेताओं, तथाकथित धार्मिक गुरुओं आदि के ऐसे उदगार समय समय पर प्रकट होते रहते है। यह उच्च वर्णों के व्यक्तियों में श्रेष्ठता की दबी भावनाओं को हवा देने के लिए पर्याप्त होते है। कहा जाता है,140 करोड़ का देश है, इस प्रकार की छुटपुट अपराधिक घटनाएं हो जाती है। फिर इस प्रकार की घटनाएं तथाकथित उच्चवर्ण व्यक्तियों व उनके धर्माधीशों के साथ प्रायः सुनने को क्यों नहीं मिलती?

यह कतिपय उच्चवर्णीय व्यक्तियों के दिमाग में गहरे से बैठी धारणा है कि वे श्रेष्ठ है और चौथे वरण के व्यक्तियों के साथ कैसे भी अमानवीय व्यवहार कर सकते है।

सामाजिक समरसता का एक महत्वपूर्ण घटक है शिक्षा। कौन सी शिक्षा? शिक्षा जो सही तथ्यों, तर्कं पर आधारित हो। शिक्षा जो संविधानिक मूल्यों पर आधारित हो।शिक्षा जो वैज्ञानिक सोच को बढ़ाए। शिक्षा जो कुछ कुंठित, पुरातनपंथी काल्पनिक पौराणिक कथाओ के अनुसार न हो। आपने ने भी कुछ बड़े राजनेताओं के उदगार सुने होंगे ---हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे, विमान सबसे पहले भारत में, गणेश जी का अंग प्रत्यारोपण बताता है यह कार्य हम पहले कर चुके आदि। शिक्षा ऐसी हो जो अपुष्ट आस्थाओं, पूर्वाग्रहों पर आधारित न हो। इतिहास जो भावनाओं पर आधारित न होकर, तथ्यों पर आधारित हो।

क्या विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच भाईचारा न हो तो सामाजिक समरसता संभव है? पाठक स्वयं अपने दिल पर हाथ रख कर इस प्रश्न का उतर खोजें। आए दिन होने वाली घटनाओं को महज एक कह कर अनदेखा नहीं किया जा सकता कि ऐसे काम कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स (हाशिए पर बैठे लोग) का है? इन घटनाओं को यह कह कर नहीं टालना चाहिए कि इनको मुख्य धारा का समर्थन नहीं। सही राज व्यवस्था हो, सबके लिए समान रूप से कानून का सही क्रियान्वयन हो तो उन फ्रिंज एलिमेंट्स की इतनी हिम्मत हो सकती है क्या? बहुत से राजनीति से जुड़े लोग, सांस्कृतिक संगठनों के लोग समय–समय पर फोटो खिंचवाकर, टीवी अखबारों में प्रचारित करवाने के लिए वचितों के घरों पर प्रायोजित भोजन करते है ये–महज दिखावा!!!

दिल पर हाथ रख कर इस प्रश्न का उतर खोजें क्या आपने पिछले 40, 50 साल में वर्ण व्यवस्था, जाती प्रथा, पाखंड आधारित पूजा प्रक्रियाओं, तर्क नहीं बस मानलों वाले प्रवचनों, सो कॉल्ड विभिन्न मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा कर भगवान बैठा देना, भगवान के नाम पर चंदा देने–लेने की प्रतिस्पर्धा करवाना बोली लगवाना जैसे कार्यों के विरुद्ध कोई सशक्त जनांदोलन देखा, सुना??? आपको उतर मिल जाएगा कि हमारे समाज में सामाजिक समरसता है या नहीं और कुछ विचारधाराएं धरातलीय सतह पर समरसता विरोधी भावनाओं को हवा देती है या ऐसी भावनाओं, कार्यों के विरुद्ध 100 प्रतिशत शक्ति व सख्ती से काम करती है ???

ओर अंत में, मीडिया भी समाजिक समरसता का महत्वपूर्ण घटक है किंतु क्या आपको लगता है मीडिया उस दायित्व को निभा रहा है? बहुत से अखबार, टीवी चैनल्स पाखंडों और सामाजिक समरसता के विरुद्ध प्रायोजित खबरों आदि का अनावश्यक प्रचार, प्रसार नहीं करते किंतु मीडिया का ही एक भाग इसके विपरीत भी कम करता है।

–महावीर सिंह, पूर्व आईएएस

विकास की नई उड़ान पर राजस्थान

सविता सिंह

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और ऐतिहासिक स्मारकों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान हर साल लाखों पर्यटकों का स्वागत–सत्कार कर 'पधारो म्हारे देश' की अपनी परम्परा को साकार कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में हो रहे हवाई सेवाओं के विस्तार से राज्य के पर्यटन और आर्थिक विकास को नई दिशा मिली है। हवाई सेवाएं केवल पर्यटकों को ही नहीं बल्कि व्यापारियों, निवेशकों और छात्रों को भी राज्य से जोड़ती हैं जिससे राजस्थान व्यापार और निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन गया है।

एयर ट्रांसपोर्ट आर्थिक वृद्धि, वैश्विक एकीकरण, व्यापार, पर्यटन और रोजगार संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भजनलाल शर्मा द्वारा राजस्थान में एविएशन सेक्टर में आज किए जा रहे प्रयास, नवाचार, निवेश प्रोत्साहन विकसित राजस्थान 2047 को साकार करने में महत्वपूर्ण बिन्दु साबित होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 19 अगस्त को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा 1507 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से कोटा–बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके निर्माण के लिए ए.ए.आई को 440.65 एकड़ भूमि

■ अत्याधुनिक हवाई सुविधाओं के विस्तार से अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

प्रदान की गई है। प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक हवाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के क्रम में कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मील का पत्थर साबित होगा।

23 अगस्त को आयोजित हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सरकार द्वारा विमानन क्षेत्र के विस्तार के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसके अंतर्गत एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने, वर्तमान में कम उपयोग में आ रही हवाई पट्टियों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और एडवेंचर ट्यूरिज्म को प्रोत्साहन देने के लिए एयरो स्पोर्ट्स गतिविधियों हेतु हवाई पट्टियों की भूमि लीज आवंटन नीति को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में विमानन क्षेत्र के विकास एवं युवाओं की इस क्षेत्र में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए गत वर्ष किशनगढ़, अजमेर में फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन की स्थापना की गई है। इसी कड़ी में भीलवाड़ा की हमीरगढ़ हवाई पट्टी को विकसित करते हुए फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध करने की दृष्टि से केंद्र सरकार द्वारा जयपुर हवाई अड्डे पर समर्पित राज्य टर्मिनल के निर्माण के लिए 12,778 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई है। राज्य सराकर द्वारा जल्द ही टर्मिनल भवन का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा।

राजस्थान में पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र और शैक्षिक संस्थान बड़ी संख्या में हैं, जिसके दृष्टिगत क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना राज्य के लिए अत्यंत महत्पूर्ण है। वर्तमान में राज्य में तीन हवाई अड्डों से आरसीएस उड़ाने संचालित हैं। राज्य सरकार ने माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा है। क्षेत्रीय हवाई संपर्क (आरसीएस) उड़ानों के लिए विमान ईंधन पर वैट को 26 प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों सहित प्रमुख पर्यटन स्थलों तथा चिकित्सा सहायता एवं इमरजेंसी रेस्पॉन्स के लिए भी अतिरिक्त हैलीपेड का निर्माण प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट एवं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम (रिप्स) के तहत विशेष प्रावधान के परिणामस्वरूप में विमानन क्षेत्र में निवेशकों से अब तक 10 से अधिक एमओयू किए जा चुके हैं, जिनसे लगभग 1500 करोड़ रुपये का निवेश संभावित है।

सविता सिंह, सहायक जनसंपर्क अधिकारी, राजस्थान

राशिफल

पंडित अनिल शर्मा

सोमवार 1 सितम्बर, 2025

भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, नवमी तिथि, सोमवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र सायं 7:55 तक, विष्कुम्भ योग सायं 4:31 तक, बालव करण दिन 1:50 तक, चन्द्रमा आज सायं 7:55 से धनु राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य–सिंह, चन्द्रमा–वृश्चिक, मंगल–कन्या, बुध–सिंह, गुरू–मिथुन, शुक्र–कर्क, शनि–मीन, राहु–कुम्भ, केतु–सिंह राशि में